न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00059RAAJodhpur2020-25RTA225 Mohanram ors Vs State of Rajasthan

01. मोहनराम पुत्र श्री हड़मानराम जी
02. भंवरलाल पुत्र श्री हड़मानराम जी
दोनो जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम रामपुरा(राणेरी) तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2020 मोहनराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 06 सितंबर 2023

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2020 अनवान मोहनराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाप में पारित आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है।

06.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 440 रकबा 176 बीघा ग्राम रामपुरा तहसील बाप में से वाद के सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 35 बीघा भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से अस्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट्स का विवादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा है तथा उनका भूमि पर बहैसियत काश्तकार के कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण के रहवासीय मकानात विवादग्रस्त भूमि पर बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण बताये प्रार्थीगण अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र में दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना प्रथमदृष्टया केस नही मानने में कानूनी भूल की है। प्रार्थीगण खसरा नं. 438 व 138/1 व 439 के रेकर्डेड खातेदार है, प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि की बिना विधिवत पेमाईस करवाये प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त पर खसरा नं. 440 में मानते हुए अगर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादग्रस्त भूमि से व उसमें बनी ढाणियों से प्रार्थीगण को हटा दिया जाता है तो प्रार्थीगण बेघर हो जावेंगे तथा अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रार्थीगण की अपील बेमकसद हो जावेगी। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के

06.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं के अपने पक्ष में बखूबी साबित किया है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है तथा गैर मुमकिन किस्म की भूमि हैं। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त भूमि ग्राम रामपुरा के ख.न. 440 राजकीय भूमि पर संवत् 2071 मे दोनो अपीलार्थियों का तथा संवत् 2076 में अपीलार्थी संख्या 1 का क्रमशः 5 बीघा एवं 5 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा भूमि पर अवैध कब्जा काश्त बाबत् रिपोर्टस है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है।

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण

06.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होना शेष हैं। अपीलांट्स द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 फरवरी 2023 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत अपील में पारित आदेश दिनांक 27.02.2020 प्रभावी रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर